

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 मई 2023—वैशाख 14, शक 1945

### खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

क्र. एफ-04-09-2021-उन्तीस-1.- चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 07) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-04-09-2021-उन्तीस-1, दिनांक 18 मार्च 2021 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा :-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. मान. न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह अहलुवालिया | अध्यक्ष |
| 2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट              | सदस्य   |
| 3. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा           | सदस्य   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आशीष कुमार**, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

क्र. एफ-04-09-2021-उन्तीस-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**आशीष कुमार**, अपर सचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> May 2023

F.No. 04-09-2021-XXIX-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of supplies Essential Commodities Act, 1980 (No. 07 of 1980) and in supersession of order No. F.No. 04-09-2021-XXIX-1 Dated 18<sup>th</sup> March 2021 the State Government hereby reconstitutes of Advisory Board for the purpose of said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows:-

1. Hon'ble Justice Shri Gurpal Singh Ahluwalia Chairman
2. Hon'ble Justice Shri Vishal Dhagat Member
3. Hon'ble Justice Shri Vishal Mishra Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHISH KUMAR, Add.Secy.